

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन भोपाल - 462004

मेल - nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755- 2527165

क्रमांक :- 09/नर्सिंग/सेल-1एस/2018/एफ-18/ 317

भोपाल, दिनांक 1/03/2019

//आदेश//

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पत्र क्रमांक स्था-3/2081/ 60 दिनांक 04-01-2019 द्वारा श्रीमति सुसन शर्मा, सिस्टर ट्यूटर, जी.एन.एम.टी.सी. रायसेन की अनाधिकृत अनुपस्थिति दिनांक 20.07.2017से दिनांक 22.12.2017 तक कुल 156 दिवस की अवधि जो स्थानांतरण अवधि है को डायजनान करने की अनुसंशा की है।

अतः मूलभूत नियम 18 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 24 में किये गये प्रावधान के तहत श्रीमति सुसन शर्मा, सिस्टर ट्यूटर, जी.एन.एम.टी.सी. रायसेन की अनाधिकृत अनुपस्थिति दिनांक 20.07.2017 से दिनांक 22.12.2017 तक कुल 156 दिवस स्थानांतरण अवधि है को अकार्य दिवस (Dies-non) मान्य किया जाता है।

//स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित //

*Rishi*

अपर संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्यसेवायें,  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1/03/2019

पृष्ठांकन क्रमांक- 09/नर्सिंग/सेल-1एस/2018/एफ- 18/ 318

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.
2. निज सहायक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
6. श्रीमति सुसन शर्मा, सिस्टर ट्यूटर द्वारा प्राचार्य, जी.एन.एम.टी.सी. रायसेन
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय
8. आदेश नस्ती।

*Rishi*

अपरसंचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्यसेवायें,  
मध्यप्रदेश